उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकाकरी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या – 42/2010

बिहारी मुण्डा वगै0 बनाम् सदीक मियाँ वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
29-08-2018	–: आदेश :–	

उभय पक्ष अनुपस्थि। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0– 22/2008–09 बिहारी मुण्डा वगै0 बनाम सदीक मियाँ वगै0 में दिनांक 15.04.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा हेहल, थाना नं0– 58, थाना– पतरातू अर्न्तगत खाता नं0– 22, प्लॉट नं0– 880, रकबा – 0.01 एकड़ एवं खाता नं0– 78, प्लॉट नं0– 879, रकबा– 0.85 एकड़, कुल जमा रकबा–0.86 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में झगरू मुण्डा वो मंगरू मुण्डा पिता धुंधा मुण्डा वो करमा मुण्डा पिता लंगरू मुण्डा के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आदिवासी खाते की भूमि गैर आदिवासी को विधिवत् नियमानुसार हस्तानान्तरण हुआ है या नहीं ।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद सं0– 22/2008–09 बिहारी मुण्डा वगै0 बनाम सदीक मियाँ वगै0 में दिनांक 15.04.2010 को पारित आदेश से सहमत् होनें का कोई ठोस आधार नहीं, फलतः उक्त आदेश को निरस्त करते हुए **प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड)** किया जाता है और भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि उक्त परिपेक्ष्य में विधिवत राजस्व कागजातों की जाँच कर नये सिरे से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जाय। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

602/ विवि
07/09/2018

लेखापित एवं संशोधित

29/8/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

29/8/18

उपायुक्त,
रामगढ़